न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2024-155(GCMS2024-250)

1. सवाईसिंह पुत्र शम्भूदान चारण
2. जसवन्तसिंह पुत्र शम्भूदान चारण
3. जीवराजसिंह पुत्र शम्भूदान चारण
4. शैतानसिंह पुत्र शम्भूदान चारण
   निवासीगण ग्राम छिन्डीया, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
   (अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 जरिये आम-मुख्त्यार
   अपीलाण्ट संख्या एक)

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सुवटी पत्नी उमाराम जाट
2. किशनाराम पुत्र उमाराम जाट
3. गुलाराम पुत्र उमाराम जाट
4. जिया पुत्री उमाराम जाट
5. मांगीदेवी पुत्री उमाराम जाट
6. आचूडी पुत्री उमाराम जाट
   निवासीगण ग्राम छिन्डीया, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
7. उम्मेदाराम पुत्र श्रीराम जाट
   निवासी ग्राम छिन्डीया, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
8. जनककंवर पत्नी भवानीसिंह चारण
   हाल निवासी मरुधर कॉलोनी, वार्ड नम्बर 60
   नागौर, जिला नागौर
9. भवानीसिंह पुत्र शुभकरण चारण
   निवासी ग्राम छिन्डीया हाल निवासी मरुधर कॉलोनी,
   वार्ड नम्बर 60, नागौर, जिला नागौर
10. मनोहरसिंह पुत्र शुभकरण चारण
    निवासी ग्राम छिन्डीया हाल निवासी मरुधर कॉलोनी,
    वार्ड नम्बर 60, नागौर, जिला नागौर
11. नागाराम पुत्र रुघाराम जाट
12. भागीरथ उर्फ भगाराम पुत्र रुघाराम जाट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. रामूराम पुत्र रूघाराम जाट
14. दौलाराम पुत्र किस्तुरराम जाट
15. उम्मेदराम पुत्र किस्तुरराम जाट
16. इसाराम पुत्र जीयाराम जाट
17. रूघाराम पुत्र बींजाराम जाट
18. किस्तुरराम पुत्र बींजाराम के का.मु.
    18.1. गलकाई पत्नी किस्तुरराम जाट
    निवासी ग्राम छिन्डीया, तहसील बावडी
    जिला जोधपुर
19. पीराराम पुत्र आईदानराम जाट
    निवासी कजनाउ खुर्द, तहसील बावडी
    जिला जोधपुर
20. सरकार जरिये तहसीलदार बावडी
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावडी दिनांक 21 जून 2024 प्रकरण संख्या 76/2022 अनवान सवाईसिंह बनाम सुवटी आदि

उपस्थित-

श्री एम.डी.बूब, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री शंकरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 7
श्री जी.आर.गोरा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 17 व 19
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 20

नि र्ण य

दिनांक : 28 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी द्वारा प्रकरण संख्या 76/2022 अनवान सवाईसिंह बनाम सुवटी आदि में पारित आदेश दिनांक 21 जून 2024 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 22 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स-प्रार्थीगण की ओर से आराजी खसरा संख्या 251/213 (नया खसरा संख्या 213/11, 213/13, 213/3, 213/6, 213/5, 213/8, 213/7, 213/4, 213/9 व 213/2) रकबा 230 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम छिन्डीया के ⅓ हिस्से बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया, जो संस्थित किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 05 जुलाई 2022 को जारी की गयी। जिसके खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 246/2022 (जीसीएमएस 2022-344) अनवान नगाराम व अन्य बनाम सवाईसिंह आदि दिनांक 19 जुलाई 2023 को खारिज की गयी एवं विचारण न्यायालय को मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का निस्तारण दो माह की अवधि में किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके बाद मामले में अप्रार्थीगण की ओर से जबाब-स्थगन प्रार्थनापत्र पेश होने के बाद पक्षकारान की सुनवाई की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा मूल स्थगन प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जून 2024 को खारिज कर दिया गया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण श्रीराम व उनके पुत्रों उमाराम व उम्मेदाराम द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर पीपाडशहर के समक्ष एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 92 एवं 188 के तहत अपीलाण्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पिता शम्भुदान सहित अन्य प्रतिवादीगण के खिलाफ प्रस्तुत किया गया, जो मूल वाद संख्या 65/2000 संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयीं और दिनांक 31 जुलाई 2006 को निर्णय पारित करते हुए उमाराम व उम्मेदाराम को 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि का खातेदार घोषित किया गया एवं म्युटेशन संख्या 11, 52, 123, 150, 184, 185,188, 201 व 240 एब इनिशियो वॉइड माने जाकर निरस्त किये गये। उक्त निर्णय के खिलाफ अपीलाण्ट्स के पिता शम्भुदान द्वारा अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील दिनांक 22 सितम्बर 2008 को आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। जिसके खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में द्वितीय अपील जनककंवर आदि द्वारा प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 04 अप्रेल 2022 को खारिज की गयी तथा अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 22 सितम्बर 2008 को यथावत रखते हुए माननीय मण्डल द्वारा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये गये कि वादग्रस्त गोचर आराजी किस आधार पर खातेदारी भूमि दर्ज की गयी तथा उमाराम आदि द्वारा 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि कय किये जाने के समय विकेता शुभकरण उक्त भूमि का खातेदार था अथवा नहीं, इस बाबत विनिश्चय किया जावे। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि मामले में अपीलाण्ट्स के पिता शम्भुदान द्वारा वादग्रस्त आराजियात में अपने ⅓ हिस्से बाबत घोषणा, बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिदावा पेश किया। आराजी खसरा संख्या 251/213 पूर्व में राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज थी, कालान्तर में दिनांक 15 जुलाई 1967 को शम्भुदान पुत्र आसकरण ⅓ हिस्सा, शुभकरण पुत्र गणेशदान ⅓ हिस्सा, बालुदान पुत्र रामदान ⅓ हिस्सा को खातेदारी अधिकार जरिये म्युटेशन संख्या 58 प्राप्त हुए। इनमें से शुभकरण पुत्र गणेशदान द्वारा खसरा संख्या 251/213 की सम्पूर्ण 230 बीघा 11 बिस्वा

भूमि में से 57 बीघा 12 बिस्वा भूमि का बेचान नाबालिग उमाराम, अमेदाराम पिसरान श्रीराम के पक्ष में कर दिया गया, जबकि उक्त बेचान की दिनांक 14 अप्रेल 1966 को विवादित आराजी बाबत विकेता शुभकरण पुत्र गणेशदान के पास खातेदारी अधिकार नहीं थे और न ही उसके पक्ष में म्युटेशन हो रखा था। शुभकरण पुत्र गणेशदान का देहान्त हो जाने के बाद सन्1972 में वादीगण उमाराम उम्मेदाराम ने उक्त फर्जी बेचाननामा के आधार पर अपने पक्ष में म्युटेशन की कार्यवाही की, मगर सरपंच ग्राम पंचायत सोयला द्वारा म्युटेशन संख्या 130 के मुख्यपृष्ठ पर नोट लगाते हुए दिनांक 08 दिसम्बर 1978 को खारिज कर दिया। इसके उपरान्त भी उक्त उमाराम व अमदाराम ने उपरोक्त फर्जी बेचाननामा में दर्ज 57 बीघा 12 बिस्वा भूमि के स्थान पर 37 बीघा 10 बिस्वा भूमि बाबत म्युटेशन संख्या 139 दिनांक 19 जनवरी 1983 को नायब तहसीलदार भोपालगढ एवं पटवारी सोयला से दुराभिसंधि कर स्वीकृत करवा लिया और राजस्व रिकार्ड में शुभकरण के खाते की बजाय जनककंवर की खातेदारी भूमि 129 बीघा में से 37 बीघा 10 बिस्वा भूमि अपने नाम करवा ली। जो कालान्तर में दिनांक 10 जुलाई 1986 को सुगनी के पक्ष में बेचान कर दी, सुगनी ने दिनांक 10 मई 1989 को उक्त भूमि आदुराम, मधु चौधरी के पक्ष में तथा आदुराम, मधु चौधरी ने रामुराम भगाराम उर्फ भगीरथ पिसरान रुघाराम के हक में उत्तरोत्तर बेचान कर दी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि उक्त फर्जी बेचान के बाद शुभकरण ने खसरा संख्या 251/213 रकबा 230 बीघा 11 बिस्वा में अपना निहित हिस्सा खोले बिना अपने हक-हिस्से से ज्यादा 166 बीघा 10 बिस्वा भूमि बाबत फर्जी अनरजिस्टर्ड विधिविरुद्ध बख्शीशनामा दिनांक 05 फरवरी 1969 को अपनी पुत्रवधु जनककंवर पत्नी भवानीसिंह के पक्ष में कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिसके आधार पर जनककंवर द्वारा म्युटेशन की कार्यवाही किये जाने पर स्वीकृति हेतु दिनांक 08 अक्तूबर 1974 को प्रस्तुत म्युटेशन संख्या 52 संबंधित नायब तहसीलदार द्वारा नोट लगाकर खारिज कर दिया गया और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किये जाने की हिदायत दी गयी। मगर इसके उपरान्त भी जनककंवर द्वारा विधिविरुद्ध ढंग से राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करवा लिया गया और कालान्तर में उक्त 166 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 129 बीघा भूमि का बेचान कर दिया गया। जनककंवर के नाम बकाया रही भूमि में से 37 बीघा 10 बिस्वा वादीगण उमाराम व अमेदाराम के पक्ष में फर्जी तौर म्युटेशन पर दर्ज हो गयी। इसके अलावा जनककंवर द्वारा अन्य 26 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनाक 01 मई 1971 को रुघाराम पुत्र बींजाराम के पक्ष में फर्जी बेचान कर दी गयी।

इस प्रकार शुभकरण द्वारा खसरा संख्या 251/213 रकबा 230 बीघा 11 बिस्वा के ⅓ हिस्से बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद कुल 193 बीघा 01 बिस्वा भूमि का बेचान-हस्तान्तरण कर दिया गया, जबकि ⅓ हिस्सा मात्र 76 बीघा 17 बिस्वा ही होता है। उपरोक्त किये गये फर्जी बेचान-हस्तान्तरण के बाद शुभकरण के नाम राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा की कोई भूमि नहीं होते हुए भी शुभकरण के देहान्त के बाद अप्रार्थी-रेस्पो. भवानीसिंह मनोहरसिंह पिसरान शुभकरण द्वारा अपने पक्ष में फौतेदगी म्युटेशन संख्या 81 भरवा कर स्वीकृत कराये बिना ही 37 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 25 बीघा भूमि पटवारी सोयला से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा ली गयी।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि प्रतिपक्षीगण द्वारा पर मिलावटी एवं अन्यायपूर्ण तरीके से कार्यवाही कर पीडित पक्षकार के अधिकारों कुठाराघात किये जाने के कारण मामले में रिसीवर नियुक्तिकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर पीडित पक्षकारान के हितों की रक्षा की जानी चाहिये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि मौके पर खसरा संख्या 251/213 में अपीलाण्ट्स के पिता शम्भुदान का अपने निहित ⅓ हिस्से अर्थात 76 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर दिनांक 15 जुलाई 1967 से जीवनपर्यन्त कब्जा काश्त रहा है और उसके बाद से वर्तमान तक निरन्तर अपीलाण्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा अपीलाण्ट्स के उक्त हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी करते रहने के कारण धारा 145 सीआर.पी.सी. का प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया है। मगर फिर भी अप्रार्थीगण-रेस्पो. वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट्स के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में दखलदांजी करने एवं उत्तरोत्तर बेचान-हस्तान्तरण करने पर आमदा है। जिन्हें स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं किया जाता है तो अपीलाण्ट्स को गम्भीर असुविधा एवं अपूरणीय क्षति होना अवश्यंभावी है।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर वादग्रस्त आराजियात के ⅓ हिस्से बाबत अपीलाण्ट्स के अधिकारों को सुरक्षित किये जाने का निवेदन किया और अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित नजीरें उद्धरित की-

1. In the Supreme Court Civil Appeal No. 5135 of 2021 (Rameshbhai Virabhai Cahudhari Vs The State of Gujrat & Ors. Decided on 6th of Sept. 2021)
2. In the Supreme Court Civil Appeal No. 8718 of 2012 (Chattar Singh & Ors Vs Madho Singh & Ors. Decided on 6th of Feb., 2019)
3. In the High Court of Rajasthan DB Civil Writ Petition No. 12119 of 2021 (Keshar Singh Vs State of Rajasthan Decided on 10th of Mar., 2022)
4. 2014(1) RRT 621

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5. 2011-12 (Supp) RRT 55
6. 2002 RRT 220
7. 2009(2) RRT 835
8. 2012(2) RRT 793
9. 2015(2) RRT 1214
10. 2019(1) RRT 745
11. 2019(2) RRT 869

अंत में अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि आलौच्य मामले में वादीगण-रेस्पो. की ओर से मूल वाद के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र बाबत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23 मार्च 2005 के खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 14/2005 दिनांक 16 मई 2006 को खारिज करते हुए अदालत हाजा द्वारा विचारण न्यायालय को मूल दावा गुणावगुण पर निर्णित करने के निर्देश दिये गये थे। मगर तथ्यों को छिपाते हुए अपीलाण्ट्स की ओर से विचारण न्यायालय में स्थगन प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। खसरा संख्या 251/213 रकबा 230 बीघा 11 बिस्वा में शुभकरण का ⅓ हिस्सा था और अपने हिस्से की 76 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से शुभकरण द्वारा दिनांक 14 अप्रेल 1966 को श्रीराम पुत्र दलाराम व उनके पुत्रों उमाराम व उम्मेदाराम के पक्ष में 57 बीघा 12 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख बेचान की गयी है जिसमें से 37 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बेचान उनके द्वारा सुगनीदेवी आदि में पक्ष में कर दिया गया और बकाया 20 बीघा 02 बिस्वा पर वक्त खरीद अर्थात वर्ष 1966 से ही रेस्पो. संख्या 1 से 7 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 14 अप्रेल 1966 बाबत प्रारम्भ से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

ही अन्य सहखातेदारान को जानकारी होते हुए भी आदिनांक तक उक्त पंजीबद्ध विकय विलेख को सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गयी है। पक्षकारान के मध्य जायदाद को लेकर आपसी विवाद होने पर तहसीलदार ओसियां के समक्ष प्रकरण संख्या 11/1974 श्रीराम बनाम शुभकरण आदि में आदेश दिनांक 14 अक्तूबर 1974 व अन्य प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा निर्णय दिनांक 15 अप्रेल 1967 के अनुसार वादीगण-रेस्पो. का कब्जा माना गया जिसमें शम्भुदान स्वयं पक्षकार थे और उनकी उपस्थिति में ही निर्णय पारित किये गये थे। इसी प्रकार उक्त बेचाननामा के बाद शुभकरण द्वारा जनककंवर के पक्ष में निष्पादित बख्शीशनामा, उसके अनुसरण में की गयी म्युटेशन की कार्यवाही एवं तदन्तर किये गये बेचाननामों आदि के खिलाफ सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने जाहिर किया कि विगत 60 सालों से भी अधिक अवधि से वादग्रस्त भूमि रेस्पो.-वादीगण की खातेदारी में दर्ज है और मौके पर उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। इस प्रकार रेस्पो. वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है, जिनके खिलाफ कानूनन किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है और न ही रिसीवर नियुक्ति जैसा कोई कठोरतम आदेश पारित किया जा सकता है। अपनी बहस के समर्थन में अधिवक्ता-रेस्पो. की ओर से 1989 आरआरडी 628, 1996 आरआरडी 406 आदि की नजीरें उद्धरित की गयी।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष की ओर से उद्धरित न्यायिक

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। पूर्व में मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 04 अप्रेल 2022 को खारिज करते हुए माननीय मण्डल द्वारा वादग्रस्त गोचर आराजी किस आधार पर खातेदारी भूमि दर्ज की गयी तथा उमाराम आदि द्वारा 20 बीघा 02 बिस्वा भूमि कय किये जाने के समय विकेता शुभकरण उक्त भूमि का खातेदार होने अथवा नहीं होने बाबत विनिश्चय किये जाने बाबत विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाना भी उपलब्ध अभिलेख से प्रकट है। वादग्रस्त भूमि की किस्म, 15 जुलाई 1967 को शम्भुदान पुत्र आसकरण ⅓ हिस्सा, शुभकरण पुत्र गणेशदान ⅓ हिस्सा, बालुदान पुत्र रामदान ⅓ हिस्सा को खातेदारी अधिकार जरिये म्युटेशन संख्या 58 प्राप्त होने, कालान्तर में वादग्रस्त भूमि का समय-समय पर उत्तरोत्तर अलग-अलग व्यक्तियों के पक्ष में बेचान-हस्तान्तरण किये जाने एवं उसके आधार पर केतागण-हस्तान्तरिती सहित सभी पक्षकारान के वादग्रस्त भूमि बाबत स्वत्व एवं अधिकारों के संबंध में मूल वाद में नियमानुसार विवाधकों की संरचना की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष अंकित करते हुए विनिश्चयन किया जाना है। वर्तमान अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित अपील में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपरणीय क्षति के बिन्दु विचारणीय है। आलौच्य मामले में उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं स्वयं अपीलाण्ट्स की ओर से किये गये अभिकथनों के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट्स की खातेदारी में दर्ज नहीं है। अपीलाण्ट्स की ओर से ऐसा तर्कसंगत कोई ठोस आधार अथवा कोई दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर अपीलाण्ट्स का भौतिक कब्जा अथवा मौके पर रेस्पो. द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्षत-विक्षत किया जाना प्रतीत होता हो। इन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपीलाण्ट्स के पक्ष में नजर नहीं आने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जून 2024 प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की विनम्र में न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21 जून 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर